ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(4): 230-235
www.allresearchjournal.com
Received: 01-02-2021
Accepted: 26-03-2021

ओमकार तिवारी
शोध छात्र वाणिज्य, शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर जिला सतना, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. पी. पी. पाण्डेय
प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
ओमकार तिवारी
शोध छात्र वाणिज्य, शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर जिला सतना, मध्य प्रदेश, भारत

सतना जिले में औद्योगिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ओमकार तिवारी एवं डॉ. पी. पी. पाण्डेय

सारांश
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र जिले में स्थापित किये गये विकास वित्तीय संस्थानों के नगर के औद्योगिक विकास में काफी सराहनीय भूमिका निभाते हुए औद्योगिक वित्त के लिए संसाधनों को एकत्रित करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है। यद्यपि औद्योगिक विकास वित्त संस्थानों ने आमतौर पर अपनी वित्तीय क्षमता बनाये हुए हैं, और जिले में इन वित्तीय संस्थाओं की लाभदायकता में काफी वृद्धि हुयी है। सतना जिले की वित्तीय संस्थाओं ने चिन्हित संस्थाओं हेतु ऋण पत्र का प्रबन्धन किया जिससे उद्योगपतियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुयी। औद्योगिक विकास हेतु इन वित्तीय संस्थाओं ने उद्योग केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम करने के लिए नियमों को शिथिल करते हुये रियायती दर पर ऋण मुहैया करा रही है, जिससे नगर के औद्योगिक संस्थाओं का तेजी से विकास हो रहा हैं।

कूटशब्द : सतना जिला, औद्योगिक विकास, बैंक, वित्तीय संस्था।

प्रस्तावनाः
किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का चतुर्दिक विकास औद्योगीकरण के कारण ही हो सकता है, क्योंकि औद्योगिक विकास राष्ट्र के समन्वित व आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण का निर्वहन करती है। विश्व के अनेक विकसित देशों–अमेरिका, जापान एवं इंग्लैण्ड इत्यादि के विकसित होने का प्रमुख कारण औद्योगीकरण ही रहा है और आज संसार के कुछ देशों–चीन, इण्डोनेशिया एवं कोरिया इत्यादि के आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिक विकास ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 'आत्म निर्भर भारत' की संकल्पना भी इससे अछूती नहीं है, आज देश में औद्योगीकरण के कारण ही इंजीनियरों, प्रबन्धकों, साहसियों एवं व्यावसायियों के नये–नये समूह उभर कर राष्ट्र के सामने आ रहे हैं, जिनके अथक योगदान के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्म निर्भर भारत की संकल्पना कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद भी निरंतर तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन वर्तमान समय में विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनका आर्थिक विकास कृषि विकास के बिना संभव नहीं था, प्रत्येक विकसित अर्थव्यवस्था ने कृषि के विकास को नकारा नहीं है क्योंकि कृषि के विकास के बगैर कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती है। यदि यह कहा जाय कि औद्योगिक विकास बिना कृषि के विकास के संभव है तो यह सर्वथा गलत ही होगा, क्योंकि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल कृषि व्यवसाय के द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है, जिससे वे निर्मित वस्तुओं व खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में अपने को सफल बना पाते हैं।

पूर्व अध्ययन समीक्षा
पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से जाटव एवं बरौदिया (2016)[1], शर्मा एवं मालीराम (2007)[2], गर्ग (2000)[3], कोठारी (1985)[4] एवं बॉस (2002)[5] ने औद्योगिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से सम्बन्धित शोध कार्य किये है।

शोध विधि
शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया है। प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग हेतु अनुसूची का प्रयोग और द्वितीय आंकड़ों के लिए पत्र–पत्रिकाओं,

शोध ग्रन्थों एवं शोध पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया है। शोधार्थी ने अपने शोध का क्षेत्र सतना जिले के औद्योगिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन तक ही सीमित रहा है तथा औद्योगिक इकाइयों के विकास में बैकों की भूमिका का व्यापक स्तर पर विश्लेषण करने के लिए चयनित किया है।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास बिना कृषि विकास के सम्भव कदापि नहीं हो सकता है इसलिए विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था के ध्यान को दृष्टिगत रखते हुए अनेक प्रकार की संस्थाएं कृषि वित्त व्यवस्था, वित्त निगम, नाबार्ड, सहकारी बैंक एवं वाणिज्यिक बैंको का गठन किया गया है, जिससे कृषि के विकास के साथ–साथ औद्योगिक विकास को जोड़ा जा सके। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु प्रयासरत नीति नियामकों की सोच में बदलाव काफी आया है और कृषि कार्य को भी बढ़ावा औद्योगिक कार्य के विकास के समान दिया जाने लगा है। इस भारत के औद्योगिक विकास को निम्न के प्रमुख वर्गों में रखकर अध्ययन किया जा सकता है –

उदारीकरण से पूर्व की स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में अपना ध्यान सबसे पहले वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति के प्रयोजन में रखा, इसके बाद वर्ष 1956 मे अपना दूसरा औद्योगिक नीति का प्रयोजन रखा, उपरोक्त दोनों प्रयोज्यों के मध्य केन्द्रीय सरकार ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण व नियमन हेतु औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 को लागू किया, लेकिन औद्योगिक विकास व अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा कटुनिंदा की गयी और इस सम्बन्ध में कहा गया कि इससे औद्योगिक विकास की गति बाधित हुयी है तथा देश के भ्रष्टाचार की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

1991 से पूर्व औद्योगिक विकास की समीक्षा

लाइसेंसिंग समिति के माध्यम से औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना और उनके विस्तार इत्यादि हेतु कोई दृढ़ आकार कतई अपनाया नहीं जाता था एवं इस समिति का कार्य करने का तरीका तदर्थ/उचित नहीं था। औद्योगिक लाइसेंसिंग हेतु आवेदन दस्तावेजों पर कोई फैसला करने से पहले डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ टेक्नीकल डेवलपमेंट (D.G.T.D.) को सभी प्रस्तावित उद्योग की स्थापना या आधुनिक उद्योग के विस्तृत करने के सम्बन्ध में जिस तरह तकनीकी आर्थिक जांच करना चाहिए, वैसा अधिकांश जांच नहीं किया जाता। इस अतिरिक्त जांच व सलाह देने में (D.G.T.D.) बहुत अधिक समय लगाता था। इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह भी देखा गया है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली अपने निर्धारित उद्देश्यों से अलग होकर कार्य करती रही है।

नयी औद्योगिक नीति अथवा उदारीकरण के बाद की स्थिति

24 जुलाई 1991 को उद्घोषित नवीन औद्योगिक प्रणाली में बहुत अत्यधिक उदारवादी फैसला लिया गया है। लाइसेंसिंग सुव्यवस्था को प्रायः खत्म कर दिया गया है, सर्वाधिक आरक्षित संस्थाओं के मार्ग निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया है। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार अधिनियम के तहत समाहित होने वाली व्यावसायिक संस्थाओं की परिसम्पत्ति राशि खत्म कर दी गयी और विदेशी फर्मों को अत्याधिक छूट प्रदान की गयी है।

उदारीकरण नीति का मूल्यांकन

विदेशी निवेश प्रणाली, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता, व्यावसायिक लाइसेंसी प्रणाली एवं एकाधिकारी व प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम में अनेक ऐसे बदलाव शासन स्तर पर किये गये जिससे केन्द्र सरकार से पूर्व में स्वीकृत लेने की आवश्यकता कदापि न पड़े। इस प्रक्रिया से पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण करने एवं क्रियान्वित करने में होने वाली अनायास देरी में कमी होगी जिन उद्योगपतियों एवं साधनों को केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ मेल जोल बनाये रखने हेतु प्रयोग करना पड़ता था। अब ऐसा हो जाने पर उनका उपयोग केवल उत्पादक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा सकेगा। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते एवं विदेशी विनियोग में किये गये बदलाव से नवीन प्रौद्योगिकी विदेशी से पूंजी प्राप्त करना और कुशल प्रबन्ध क्षमता का आयात हो सकेगा। जिससे राष्ट्र में इन संसाधनों की कमी तो दूर किया जा सकेगा। और औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन की क्षमता का स्तर ऊपर की ओर अग्रसर होगा। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले सुधारों से औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यावसायिक जगत में इन सुधारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विक्रय करने की व्यवस्था की गयी है, क्योंकि निजी क्षेत्र के इकाइयों की कार्य क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की तुलना में अच्छी है अतः ऐसे वस्तुओं के विक्रय से उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर व अक्षम इकाइयों को बंद कर देने से ऐसे संस्थानों में लगे हुए संसाधनों को बेहतर प्रयोग हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा। इस प्रकार निजीकरण के फलस्वरूप, स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक संस्थाओं के शेयरों की क्रय व विक्रय की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही इनकी दक्षता के स्तरों में भी काफी सुधार होगा। इस दौरान जो औद्योगिक संस्थायें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत बनी रह जायेगी, उनके लिए समझौता ज्ञापनों के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्साहित किया जाता है तथा ऐसी स्थिति में उनके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कम किया जाता है। इन गतिविधियों को औद्योगिक इकाइयों पर लागू कर देने से निष्पादन में सुधार होने की संभावना अत्यन्त ही बढ़ जाती है। इस प्रकार एम.आर.टी.पी. आयोग की नजर अब औद्योगिक संस्थाओं के आकार को सीमित करने का न होकर अपितु एकाधिकारी, प्रतिबंधक तथा अनुचित व्यापार व्यवहार की गतिविधियों को रोकने की ओर होगा। इन प्रक्रिया के दौरान एकाधिकारी एवं अल्प अधिकारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन एवं वस्तुओं की उत्पादकता पर अत्यन्त ही अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगे।[6]

केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी नयी औद्योगिक प्रणाली में घरेलू व विदेशी निवेशकों को अनेक प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं और साथ ही यह उम्मीद भी की गयी कि इस प्रणाली के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित होगा तथा यह प्रतिस्पर्धा का वातावरण अपने आप ही व्यावसायिक क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि करने में सक्षम होगा। लेकिन इसके बावजूद इस औद्योगिक प्रणाली का व्यावसायिक संस्थाओं के आर्थिक विकास पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। वास्तव में वर्ष 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक संवृद्धि की दर में तो कमी परिलक्षित होती नजर आयी। साक्ष्य के रूप में 9 वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997–2002 में औद्योगिक उत्पादन की आर्थिक संवृद्धि की दर केवल 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बनी रही, जबकि औद्योगिक इकाइयों में सुधारों की रणनीतियों के पहले के दशकीय वर्षो 1980–81 से 1991–92 में व्यावसायिक इकाइयों के उत्पादन की औसत संवृद्धि की दर 7.8 प्रतिशत प्रति वर्ष बनी रही थी और दशवीं पंचवर्षीय योजना के मद्देनजर व्यावसायिक समृद्धि दर 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष और 11वीं पंचवर्षीय योजना के मद्देनजर यह समृद्धि दर 6.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष बनी रही, जबकि

उन्नत दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक समृद्धि की दर का लक्ष्य प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत सुनिश्चित किया गया था। औद्योगिक इकाइयों में इन सुधार की समयावधि के अनेक वर्षों में व्यावसायिक समृद्धि दर में बड़े स्तर पर उतार–चढ़ाव होने के फलस्वरूप उनमें अनिश्चितता का माहौल बना रहा। अतः स्पष्ट होता है कि ''उदारीकरण अपने आप स्वयं निवेश एवं उत्पादक गतिविधियों को उत्साहित करने में सर्वथा असफल रहा है, इसलिए उद्योगपतियों की निवेश करने की योग्यताओं को जागृत करने हेतु अन्य दूसरे नवीन युक्तियों की नितान्त अनिवार्यता बनी हुई है।[7]

राष्ट्र के दीर्घकालीन व्यावसायिक विकास की दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण औद्योगिक समूह पूंजीप्रद्यान वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों का समूह है, लेकिन इस औद्योगिक समूह की वर्ष 1980 की दशक में जो वार्षिक समृद्धि दर 9.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। वह नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान घटकर केवल 4.5 प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ही रह गयी, औद्योगिक इकाइयों में यह प्रवृत्ति किये जाने वाले सुधार के पश्चात् व्यावसायिक उत्पादन ढांचा में होने वाली विसंगतियों का प्रतीक माना जा सकता है। राष्ट्र में उदारीकरण की विचारधारा के प्रारम्भ के समय में निजी क्षेत्र के व्यावसायियों ने अत्यन्त बलपूर्वक वर्ष 1991 की नवीन औद्योगिक प्रणाली का खुले मन से अभिवादन किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा हेतु खोलने का आशय यह है कि अधिक एवं सस्ते आयात, अत्यधिक विदेशी विनियोग, बहुराष्ट्रीय उद्यमों को राष्ट्र में प्रवेश करने एंव घरेलू उद्यमों को अपने हाथ में लेने की स्वतंत्रता और नीति व्यावसायियों की निर्बल आर्थिक शक्ति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय उद्यमों से प्रतिस्पर्धा करने में अपने को अक्षम्य पाना रहा है। वर्ष 1991 की नवीन व्यावसायिक के फलस्वरूप राष्ट्र में जो उदारीकृत माहौल निर्मित हुआ उसमें भारतीय उद्योगपतियों में बहुराष्ट्रीय संस्थाओं की असमान प्रतिस्पर्धा विभिन्न कारणों से परिलक्षित होती है। भारतीय औद्योगिक संस्थाएं आकार में बहुराष्ट्रीय इकाइयों के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटे स्तर के हैं, काफी लम्बे अरसे तक भारतीय व्यवसायियों ने एक संरक्षणात्मक माहौल में अपना कार्य निष्पादित करते रहे हैं जिससे उत्पादन की गुणवत्ता क्षीण हुयी है। भारतीय उद्यमियों हेतु पूंजी की लागत बहुराष्ट्रीय इकाइयों की अपेक्षा अत्यन्त ही अधिक है। बहुराष्ट्रीय इकाइयों की अपेक्षा भारतीय उद्योगपतियों की वित्तीय दशा अत्यन्त ही निम्न स्तर की है, वस्तुओं का विदेशों से आयात करने हेतु अनेक प्रकार की छूट प्रदान की जा रही है तथापि भारतीय औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन पर तरह–तरह के कर लगाये जाते रहे हैं। जिसके फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं हेतु विदेशी वस्तुओं के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत ही मुश्किल होगा। इन्हीं कारणों से काडिरेशन ऑफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज ने अभी हाल के वर्षों में सरकार की औद्योगिक प्रणाली के प्रति बहुत ही कड़ा रूख अपनाया है। उसके अनुसार भारत एकदम अत्याधिक संरक्षण से लगभग शून्य संरक्षण की ओर झुक गया जिसमें अन्ततः नीति प्रेरित अनौद्योगीकरण को बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया।[8] राष्ट्र के घरेलू उद्योगपति आज समाज कार्य धरातल की मांग सरकार से करने लगे हैं। औद्योगिक प्रणाली के तहत विदेशी विनियोग को उत्साहित के ध्येय से औद्योगिक संस्थाओं को जो छूट एवं रियायतें प्रदान की गयी उनसे बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत में प्रवेश करने और भारतीय औद्योगिक इकाइयों को क्रय करने के अच्छे अवसर मिल गये। कुछ विदेशी निवेश करने वालों घरेलू ब्रान्डों एवं उसके साथ ही उनके ब्रैन्डिड उत्पादों को क्रय कर लिया गया जिससे स्थान पर अपने विश्व भर में प्रख्यात ब्रांडों को भारत में बिना किसी रोक टोक एवं घरेलू स्पर्धा के खतरे के बिना विक्रय कर सकती है। कुछ विदेशी विनियोजकों ने प्रारम्भ में भारतीय व्यवसायियों के साथ मिलकर संयुक्त व्यावसायिक उद्यम की नींव रखी जिससे वे घरेलू उद्यम क्षेत्र में अपना पैर सरलता से पसार सकें, एक बार अपनी इस दशा को सुदृढ़ कर लेने पर उन्होंने भारतीय सहयोगी व्यवसायी की दशा को पूर्णत निम्न स्तर का बना दिया। विदेशी विनियोजकों ने घरेलू व्यवसायियों के साथ मिलकर संयुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तो की लेकिन बाद में अपनी 100 प्रतिशत सहयोगी संस्था भी उन्होंने स्थापित की।[9] पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा घोषित की अनेक प्रणालियों से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार का यह आत्मविश्वास कि विदेशी विनियोग के माध्यम से भारत में तकनीकी सुधार होंगे और निर्यात करने से देश की आय बढ़ेगी, लेकिन इस अंधविश्वास का कोई मौजूदा आधार नहीं है। किसी भी बहुराष्ट्रीय संस्था ने भारत को अपने शोध व विकास कार्यों हेतु आधार बनाने का सफल प्रयास कतई नहीं किया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक रियायतों व छूटों के फलस्वरूप किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने भारत के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की कदापि कोशिश नहीं की। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उतनी मात्रा का निर्यात किया जितना अनुबंधों के अनुरूप आवश्यक था। इन कम्पनियों के उत्पादक व निर्यातक की अपेक्षा उनकी भूमिका राष्ट्र के एक व्यापारी के समान रही।[10] भारतवर्ष में विदेशी तकनीक सर्वाधिक अत्यधिक पूंजी एवं कम श्रम के उपयोग पर आश्रित है जो भारतवर्ष में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन ढांचा के पूर्णतः प्रतिकूल रही है। अब हमें भारत को आत्म निर्भर बनाने हेतु एक ऐसी तकनीक की अनिवार्यता है जो न्यून पूंजी और अत्यधिक श्रम के उपयोग पर आधारित हो, और ऐसी प्रौद्योगिकी का हमें स्वयं ही विकास करना होगा। तभी तो हम भारत के आत्मनिर्भर की संकल्पना को साकार कर पाने में सक्षम बना सकेंगे।

वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार के नीति नियामकों एवं नियंत्रणों के परिप्रेक्ष्य में उदार होना यह प्रमुख रूप से औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य दूसरे आर्थिक इकाइयों पर से सरकारी नियंत्रण को खत्म करना रहा। जिसे भारतीय सरकार वर्ष 1991 के पूर्व कठोर औद्योगिक निर्णयों के तहत किया गया था। जिसके कारण निजी क्षेत्रों का फैलाव ही केवल बाधित नहीं हुआ, अपितु इसके कारण विभिन्न भ्रष्टाचार से सम्बन्धित व्यवहारों में वृद्धि हुयी। आर्थिक उदारीकरण की रणनीति एक लम्बी समयावधि से चली आ रही एक नियामक प्रणाली स्थान पर दूसरे नवीन आर्थिक प्रणाली को विकसित करना था जिसमें सरकारी नियमन व हस्तक्षेप कम से कम हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रक लाइसेंस, नियंत्रण एवं परमिट इत्यादि से स्वतंत्र हो। इस रणनीति के अंतर्गत वर्ष 1991 से पहले व्यावसायिक संस्थाओं हेतु निरंतर रूप से चली आ रही लाइसेंसिंग प्रणाली को, कुछ अनिवार्य क्षेत्रकों को छोड़कर अत्यन्त उदार किया गया जिसे समाप्त कर दिया गया, वर्ष 1991 के पश्चात् एम.आर.टी.पी. को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक संस्थाओं के विस्तार पर लगी पूंजी की मात्रा की उपरी सीमा को समाप्त कर दिया गया लेकिन उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एम.आर.टी.पी. के स्थान पर प्रतिस्पर्धा कमेटी का नवनिर्माण किया गया। व्यावसायिक स्थानीकरण की रणनीति को और सरल किया गया और जनसंख्या बाहुल्य सम्बन्धी प्रतिबंधों को समाप्त कर औद्योगिक इकाइयों को कहीं पर भी खोलने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गयी। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि लाइसेंसिंग प्रणाली एवं एम.आर.टी.पी. के समापन के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्यमों को विस्तारित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और साथ ही पूंजी बाजार को भी उदारीकरण किया गया। इतना ही नहीं बिना सरकारी आज्ञा के ही संस्थाओं के खोलने की अनुमति प्रदान की गयी। उदारीकरण के फलस्वरूप उद्योगपतियों को कार्य करने की पूर्ण रूप स्वतंत्रता मिल गयी, लाइसेंसिंग एवं इंस्पेक्टर राज का समापन हो गया और इसके फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयों में

विनियोग करने की मात्रा में वृद्धि हुयी और साथ ही कुशलता में भी आशाजनक वृद्धि परिलक्षित हुयी। 24 जुलाई 1991 को केन्द्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि औद्योगिक प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया तथा इसे उदारवादी औद्योगिक क्रांति का रूप दिया गया था। इस नवीन औद्योगिक प्रणाली की कुछ मुख्य ध्येय है। पिछले योजना समयावधि की सफलता के आधार पर संस्थानों का बहुत अत्यधिक विकास करना, संस्थाओं में व्याप्त खामियों तथा विकृतियों को सुधारना, औद्योगिक उत्पादकता में लगातार बढ़ोत्तरी करना और नियंत्रणों पाबन्दियों में कमी करके राष्ट्रीय संस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का विकास करना था। उदारवादी औद्योगिक प्रणाली की स्थिति में अनेक महती संशोधन भी अपनाया गया जिसमें अनेक संस्थाओं को लाइसेंस की अनिवार्यता से स्वतंत्र किया गया। आधुनिक समय में लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले संस्थाओं की मात्र 5 संख्या है। दिसम्बर 1996 तक 48 उच्च प्राथमिकता वाली क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा में वृद्धि कर 51 प्रतिशत किया गया है। खनन की प्रक्रियाओं से सम्बन्ध 3 संस्थाओं में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 50 प्रतिशत और 9 अन्य संस्थाओं में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत तक वृद्धि किया गया हैं। उच्च प्राथमिकता प्राप्त संस्थाओं हेतु विदेशी प्रणाली के समझौते के स्वयं स्वीकृत का नियम बनाया गया। 10 लाख के छोड़कर बाकी संस्थाओं के स्थानीयकरण हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेने की जरूरत को बंद कर दिया गया हैं, पर्यावरण दूषित न करने वाले संस्थाओं जैसे कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को स्थानीयकरण 10 लाख से कम आबादी वाले बड़े शहरों की सीमा से 25 किमी. की दूर करने की सुव्यवस्था किया गया है। नवीन प्रणाली औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देता है। उदारीकरण के दौर व आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में केन्द्र सरकार द्वारा 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) हेतु नवीन आयात निर्यात प्रणाली को घोषित किया गया जिसको 1 अप्रैल 1992 से क्रियान्वित किया गया। इस पंचवर्षीय आयात निर्यात प्रणाली का मुख्य ध्येय व्यापार क्षेत्र को सर्वाधिक व्यापक स्तर पर उदार व खुला बनाना था। नवीन प्रणाली में लाइसेंस विधि को बंद कर दिया जाने से पूंजीगत साधनों तथा कच्चा माल के आयात पर लाइसेंस की ढील दी गयी और इसके साथ ही इस प्रणाली में 8 सामग्रियों का आयात सरकारी संस्था के द्वारा करने का नियम बनाया गया, यह सामग्री है–उर्वरक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, अखबारी कागज, उवर्रक, अलौह धातुएं, निर्मित के लिए मध्यवर्ती सामग्री और डीजल को सारणीबद्ध सूची हटा दिया गया। उदारीकरण के 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) हेतु घोषणा में आयात–निर्यात प्रणाली में भी क्रियान्वित किया गया है। इस योजना की आयात निर्यात प्रणाली में किया गया संशोधनों में कुछ सामग्रियों को प्रतिबन्धित सूची से हटाकर खुली लाइसेंसिंग की वर्ग में स्थानान्तरित किया गया है।

90 के दशक में केन्द्र सरकार ने अपने केन्द्रीय बजहों के द्वारा राजकोषीय अनुशासन अर्थात् वृद्धि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का तरीका प्रारम्भ किया, जिनका ध्येय भुगतान संतुलन की परेशानी को दूर करने के साथ–साथ राष्ट्र में पैदा हुए स्फीतिक दबाब को भी नियंत्रित करना था। वर्ष 1985–90 के तहत राष्ट्र में वृद्धि होता प्रतिकूल भुगतान संतुलन तथा दो अंकों में पहुंचा मुद्रा स्फीति का प्रमुख कारण फलतः वृद्धि होता राजकोषीय घाटा ही था। वर्ष 1991–92 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जी.डी.पी. का 8.4 प्रतिशत था जिन्हें वर्ष 1992–93 में कमी करके 5.7 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1993–94 में राजस्व प्राप्त फिर वृद्धि होकर जीडीपी का 7.3 प्रतिशत हो गया। केन्द्र सरकार ने इन वृद्धि होती राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने हेतु फिर कोशिश तीव्र किया गया तथा वर्ष 1994–95 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 6.0 प्रतिशत तक कमी करके नियमित करने में उपलब्धि मिला। राष्ट्र में उदारीकरण क्रिया के कारण राजकोषीय घाटा कुछ वर्षो में काफी कम हुआ तथा वर्ष 1995–96 और 1996–97 के दौरान यह घाटा जीडीपी का क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत रही। वर्ष 1997–98 और वर्ष 1998–99 संशोधित में यह घाटा वृद्धि होकर 6.3 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत हो गयी।

आर्थिक उदारीकरण के समयावधि में केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश प्रणाली को अत्यधिक उदार बनाकर अर्थव्यवस्था को भूण्डलीकरण के साथ मिलाने की कोशिश किया है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, विदेशी कम्पनियों को 14 मई 1992 में देशी विक्रय के सम्बन्ध में अपने ट्रेड मार्क का उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की, उच्च प्राथमिकता वाले संस्थाओं में बहुर्राष्ट्रीय तकनीकी सन्धियों को स्वयं अनुमति की सुविधा उपलब्ध करके विदेशी तकनीक के आयात के रास्ते खोल दिये, केन्द्र सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की ढील दिया गया, उच्च प्राथमिकता प्राप्त संस्थाओं में विदशी इक्विटी की अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत से वृद्धि करके 51 प्रतिशत की गयी, अनिवासी राष्ट्रीयों तथा इनके स्वामित्व वाले विदेशी नियमित संकायों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों व संस्थाओं में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति दी गयी, गैर प्राथमिकता वाले संस्थाओं में विदेशी निवेश को उदार बनाने हेतु विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड स्थापित किया गया एवं FERA के जगह पर FEM। विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम क्रियान्वित किया गया है।

औद्योगिक संस्थाओं के विकास से सम्बन्धित उदारीकरण से पूर्व एवं बाद की स्थितियों का अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त ही सराहनीय कार्य किये गये हैं। तत्पश्चात् शोधार्थी द्वारा चयनित शोध शीर्षक के अन्तर्गत औद्योगिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम सतना जिले के वाणिज्यिक एवं अन्य बैंकों से सम्बन्धित समंकों का अध्ययन करेंगे। वास्तव में औद्योगिक संस्थाओं का विकास करने में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सतना जिले में वर्तमान समय में स्थापित बैंकों एवं उनमें जमा राशियों के विवरण को हम सारणी क्रमांक 1 के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं–

सारणी 1: सतना जिले के बैंक शाखाओं एवं उनमें जमा राशियों का विवरण

वर्ष	बैंक शाखाओं की संख्या	जमा राशि (लाख रूपये)	ऋण राशि (लाख रू.)	ऋण जमा का प्रतिशत
2013–14	158	330517.00	165258.00	50.00
2014–15	158	330517.00	165258.00	50.00
2015–16	158	340618.00	168264.00	50.00
2016–17	185	552244.76	275603.99	49.91
2017–18	185	631477.46	304494.97	48.22
2018–19	185	653611.00	315401.21	50.00

स्रोत– जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सतना, वर्ष 2019

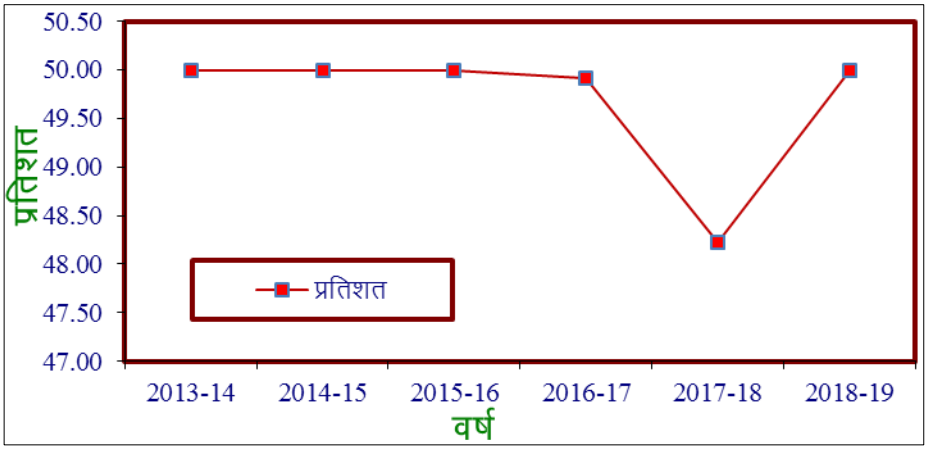

आरेख 1: सतना जिले के बैंक शाखाओं में ऋण जमा का प्रतिशत

सारणी क्रमांक 1 एवं आरेख क्र. 1 को देखने से यह सुस्पष्ट होता है कि यह सतना जिले के बैंक शाखाओं की संख्या, अन्य बैंकों में जमा धनराशि एवं बैंकों द्वारा वितरित ऋण राशि से सम्बन्धित है। वर्ष 2013–14 में सतना जिले के बैंक शाखाओं की संख्या 158 है जिसमें खाताधारी व्यक्तियों की कुल जमा राशि 330517.00 लाख रूपये है और ऋण लेने की राशि की संख्या 165258.00 लाख है तथा ऋण जमा राशि 50 प्रतिशत है। इसी प्रकार सतना जिले में वर्ष 2014–15 में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 158 रही है, जिसमें खाताधारी सदस्यों की जमा राशि 330517.00 लाख है और ऋण राशि 165258.00 लाख रूपये है तथा ऋण जमा राशि 50.00 प्रतिशत है। ठीक इसी अनुक्रम में वर्ष 2015–16 में सतना जिले के बैंक शाखाओं की कुल संख्या 158 रही है, जिसमें खाताधारी सदस्यों की जमा राशि में वृद्धि होकर 340618.00 लाख रूपये है और ऋण राशि 168264.00 लाख रूपये है तथा ऋण जमा राशि 50.00 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में सतना जिले के बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि होकर कुल 185 है जिसमें सदस्यों की जमा राशि 552244.76 लाख रूपये है और ऋण राशि 275603.99 लाख रूपये है तथा ऋण जमा राशि 49.91 प्रतिशत है। इसी अनुक्रम में वर्ष 2017–18 में सतना जिले के बैंकों की शाखाओं की संख्या 185 है जिसमें व्यक्तियों की जमा राशि 631477.46 लाख रूपये है और ऋण राशि 304494.97 लाख रूपये तथा ऋण जमा राशि 48.22 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 में बैंक शाखाओं की संख्या 185 है जिसमें सदस्यों की जमा राशि 653611.00 लाख रूपये और ऋण राशि 315401.21 लाख रूपये है तथा ऋण जमा राशि 50.00 प्रतिशत है।

अतः स्पष्ट होता है कि सतना जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या, बैंको में जमा राशि और वितरित ऋण राशि में वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक जमा राशि 653611 लाख रूपये रही और ऋण प्रदान करने राशि 315401.21 लाख रूपये रही तथा ऋण जमा प्रतिशत सर्वाधिक वर्ष 2013–14, 2014–15, 2018–19 में रही जिससे सुस्पष्ट होता है कि सतना जिले में औद्योगिक विकास में बैंकों की सराहनीय भूमिका है क्योंकि सतना जिला में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या अत्यधिक है जिससे लोगों को रोजगार करने के लिए ऋण की राशि सरलता से प्राप्त हो जाती है।

सहकारी बैंकिंग संस्थाएं

सतना जिले में सहकारी बैंकों की बहुलता है जिनसे सतना जिले के लोगों के लिए व्यवसाय करने हेतु ऋण सरलता सुलभ हो जाता है जिससे उन्हें संस्थान को संचयित करने के लिए महाजनों से अत्यधिक ब्याज दर ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सतना जिले की सहकारी बैंकिंग संस्थाओं एवं भूमि विकास बैंक के तथ्यों का अध्ययन हम सारणी क्रमांक 2 से कर सकते हैं –

सारणी 2: सतना जिले के सहकारी बैंकिंग संस्थाओं का विवरण

वर्ष	केंद्रीय सहकारी बैंक		भूमि विकास बैंक			
			शाखाएं	सदस्यता		
	शाखाएं	सदस्यता		कुल	ऋणी	गैर ऋणी
2014–15	15	21524	8	5825	5010	430
2015–16	15	33629	8	5825	5010	430
2016–17	15	43620	8	5825	5080	440
2017–18	17	44610	8	9725	4180	589
2018–19	15	1696	6	13452	3084	10368

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सतना, वर्ष 2019

सारणी क्रमांक 2 के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह सतना जिले के सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से सम्बन्धित है जिसमें केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाएं एवं सदस्यों की संख्या और भूमि विकास बैंक की शाखाएं एवं सदस्यों की सदस्यता के अन्तर्गत कुल सदस्य संख्या, ऋणी व्यक्ति एवं गैर ऋणी से सम्बन्धित है। जिसमें वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 15 रही जिसके कुल खाताधारी सदस्यों की संख्या 21524 थी एवं भूमि विकास बैंक शाखाओं की संख्या 8 है जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 5825 रही, जिनमें से 5010 व्यक्ति ऋण लिए हुये थे तथा 430 व्यक्ति ऋण नहीं लिए हुए हैं। इसी प्रकार सतना जिला के सहकारी बैंकिंग संस्थाओं का वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या 15 थी और जिसमें सम्पूर्ण खाताधारी सदस्यों की संख्या 33629 है तथा भूमि विकास बैंक शाखाओं की संख्या 8 है। जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 5825 रही, जिसमें से 5010 व्यक्तियों ने ऋण लिया है और 430 व्यक्तियों ने ऋण नहीं लिया है। इसी अनुक्रम में वर्ष 2016–17

में सतना जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या 15 एवं उसमें खाताधारी सदस्यों की संख्या 43620 थी तथा भूमि विकास बैंक के कुल शाखाओं की संख्या 8 है जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 5825 है, जिसमें ऋणी व्यक्तियों की संख्या 5080 व गैर ऋणी व्यक्तियों की संख्या 440 है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में सतना जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या बढ़कर 17 हो गयी है, जिसमें खाताधारी व्यक्तियों की संख्या भी बढ़कर 44610 हो गयी है, और भूमि विकास बैंक की शाखाएं की संख्या 8 है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 9725 है, जिसमें ऋणी सदस्यों की संख्या 4180 व गैर ऋणी सदस्यों की संख्या 589 है। इसी अनुक्रम में सतना जिले में वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या फिर 15 हो गयी, जिसमें खाताधारी सदस्यों की संख्या 1696 रही और भूमि विकास बैंक की शाखाएं 6 है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 13452 है। जिसमें ऋणी व्यक्तियों की संख्या 3084 है व ऋण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10368 है।

अतः सारणी से निष्कर्षतः प्राप्त होता है कि सतना जिले में सर्वाधिक केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएँ 2017–18 में 17 थी, जिनके सदस्यों की संख्या 44610 रही और भूमि विकास बैंकों की संख्या सर्वाधिक प्रारम्भ के 4 वर्षों में रही। जिनमें 2017–18 में सदस्यों की संख्या 9725 थी जिनमें से 4180 व्यक्ति ऋण प्राप्त किये हुये थे और 589 व्यक्ति ऋण नहीं लिए हुये थे। वस्तुतः यह स्पष्ट होता है कि इन बैंकों से सतना नगर के नगरीय व शहरीय क्षेत्रों शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार करने हेतु उक्त बैंकों से धनराशि ऋण के रूप में कम ब्याज दर पर सरलता से प्राप्त हो जा रही है, जिससे सतना जिले में औद्योगिक संस्थाओं का विकास तेजी से हो रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से सतना जिले के वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव आया है। जोखिम, उधार, पटटेदारी एवं पूंजी इत्यादि के क्षेत्रों में वाणिज्य एवं व्यापार की अनिवार्यताओं को पूरा करने हेतु विकास वित्तीय संस्थाओं की नींव रखी गयी, जो अपने क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए नगर के आर्थिक विकास में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण का निर्वहन कर रही है।

निष्कर्ष

औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने वाली इकाइयों को सहायता देनी की सरकारी नीति ने औद्योगिक विकास वित्त संस्थाओं को सुदृढ़ किया ताकि वे अपनी सफल व्यापारिक निर्णय शक्ति के विरूद्ध कमजोर संस्थाओं को भी वित्त की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया। राज्य स्तर के वित्तीय संस्थान स्वायत्त वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करने की तुलना में राज्य एवं जिला स्तर पर कार्य करते रहे हैं। सतना जिले के औद्योगिक विकास में वित्त संस्थाएं एक कारटेल के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि अनेक वित्तीय संस्थाएं आपस में मिलकर संघीय वित्त की व्यवस्था करते हैं। सतना जिले में अपनी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु ऋण लेने वालों की वित्तीय प्रबन्ध के लिए चुनाव में अत्यन्त ही कम गुंजाइश रहती है अर्थात् उन्हें ऋण प्राप्त करने हेतु साधनों के कम ही माध्यम होते हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं से उन्हें लाभ यह मिलता है कि कर्ज/.ऋण मांगने वालों को वित्तीय व्यवस्था के लिए अनेक वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

सन्दर्भ

1. जाटव, मनोज कुमार एवं बरौदिया, डॉ. परमानन्द – भारत में संचालित आई.सी.आई.सी.आई. और एस.बी.आई. बैंकों की लाभप्रदत्ता का विश्लेषण, International Journal of Advanced Educational Research 2016;1(3):18-23.
2. शर्मा, जी.एन., डॉ. मालीराम – ''बैंकिग विधि और व्यवहार'', रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2007.
3. गर्ग निधि – मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का वित्तीय प्रबंधन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध–प्रबंध, वर्ष 2000, पृष्ठ 208.
4. कोठारी, सी.आर. – ''रिसर्च मैथ्डोलॉजी'', विश्वा प्रकाशन,1985.
5. बॉस, ए.के. – ''फण्डामेन्टल ऑफ बैंकि ंग थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस'', माड र्न बुक एजेन्सी, कलकत्ता, 2002.
6. Sandesara JC. - New Industrial Policy: Questions of Efficient Growth and Social Objectives, Economic and Political Weekly, 1991.
7. Chandrasekhar CP, Jayati Ghosh. The Market That faild: A Recude of Neoliberal Economic Reforms in India, New Delhi, 2002.
8. Pignbal, John. Martinussen, Policies, Institutions and Industrial Pevelenant, New Delhi, 2001.
9. Nayyar, Baldev Raj. Globalization and Nationalism, New Delhi, 2001.
10. Paranjape HK. New Industrial Policy: A Capitalist Manifesto Economical and Political Weekly, 1991.